

पत्रांक - ~~3867~~ 3867/नि0 / (डी0जी0सेट अनुदान बैठक) 19-01 / 2012.....

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखापत्र (ली0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को
₹ 16,61,619/- (कुल सोलह लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रूपए मात्र) के
अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।
आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य
स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-22.09.16 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही
ज्ञापांक-3867 दिनांक-25.10.16 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के
सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0सेट/कैप्टिभ प्रावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों
के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1	सर्वश्री मैप इण्डस्ट्रीज, एन0 एच0-80, ममलख, सबौर, भागलपुर	₹ 2,19,548/-
2	सर्वश्री कृष्णा हाइड्रोकार्बन्स प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, बरौनी	₹ 2,97,600/-
3	सर्वश्री एवन साईकिल्स लिमिटेड, ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर	₹ 7,88,971/-
4	सर्वश्री होटल परदेसी कार्डो, वी0आई0पी0 रोड, सहरसा	₹ 3,55,500/-
	कुल	₹ 16,61,619/-
(कुल सोलह लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रूपए मात्र)		

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के
बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए
जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं
आवंटनादेश संख्या-41/आ0 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य
शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-
0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- P2852801020160 राज्य
योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि को एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि को नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि को "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि को संबंधित ईकाइयों को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-3997

पटना, दिनांक 08.11.16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना